सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

की

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

का

209वाँ प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) की बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड से संबंधित कंडिका संख्या 4.1 पर समिति का 209वाँ प्रतिवेदन ।

(दिनांक 16/03/2020 (ई०) को सदन में उपस्थापित)

विषय–सूची

		पृष्ठ
1.	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का गठन वर्ष 2018–20 के वर्तमान माननीय सदस्यों की सूची।	क
2.	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का गठन वर्ष 2018–20 के माननीय सदस्यों की सूची।	ख
3.	सभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण/प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय/विभागीय पदाधिकारीगण/निगम के पदाधिकारीगण।	ग
4.	प्राक्कथन	घ
5.	प्रतिवेदन	1–4
6.	परिशिष्ट	5–9
7.	कार्यवाही	10–13

बिहार विधान सभा सचिवालय

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का वर्ष 2018–20 तक की अवधि के लिये गठित वर्तमान माननीय सदस्यों की सूची।

सभापति

1. श्री हरिनारायण सिंह	स0वि0स0

सदस्यगण

1. श्री रामदेव राय	स0वि0स0
2. श्री श्रीनारायण यादव	स0वि0स0
3. श्री अनिल सिंह	स0वि0स0
4. श्री नीरज कुमार	स0वि0स0
5. श्री आलोक कुमार मेहता	स0वि0स0
6. श्री मुनेश्वर चौधरी	स0वि0स0
7. श्री रामचन्द्र सहनी	स0वि0स0
8. श्री रामचन्द्र भारती	स0वि0प0
9. श्री संजीव श्याम सिंह	स0वि0प0
10. श्री संजय प्रसाद	स0वि0प0

बिहार विधान सभा सचिवालय

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का वर्ष 2018–20 तक की अवधि के लिये गठित माननीय सदस्यों की सूची।

सभापति

1.	श्री हरिनारायण सिंह	स०वि०स०

सदस्यगण

1.	श्री नरेन्द्र नारायण यादव	स०वि०स०
2.	श्री रामदेव राय	स०वि०स०
3.	श्री श्रीनारायण यादव	स०वि०स०
4.	श्री अनिल सिंह	स०वि०स०
5.	श्री ललन पासवान	स०वि०स०
6.	श्री नीरज कुमार	स०वि०स०
7.	श्री आलोक कुमार मेहता	स०वि०स०
8.	श्री मुनेश्वर चौधरी	स०वि०स०
9.	श्री रामचन्द्र सहनी	स०वि०स०
10.	श्री रामचन्द्र भारती	स०वि०प०
11.	श्री संजीव श्याम सिंह	स०वि०प०
12.	श्री संजय प्रसाद	स०वि०प०

बिहार विधान सभा सचिवालय

1.	श्री बटेश्वर नाथ पाण्डेय	सचिव
2.	श्री भूदेव राय	निदेशक
3.	श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव	अवर–सचिव
4.	श्री छोटे पासवान	प्रशाखा पदाधिकारी
5.	श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह	सहायक
6.	श्री अभितेष कुमार	सहायक
7.	श्री राहुल तिवारी	सहायक

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय

1.	श्री आदर्श अग्रवाल	उप–महालेखाकार
2.	श्री सुजय कुमार सिन्हा	वरीय लेखापरीक्षा आधिकारी (वाणिज्यिक)
3.	श्री कुमार विकास	सहायक लेखापरीक्षा आधिकारी (कोपु)

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

1.	श्री पंकज कुमार	सचिव
2.	श्री भरत कुमार दूबे	संयुक्त सचिव

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

1.	श्री विनोदानंद झा	मुख्य महाप्रबंधक
2.	श्री सुशील कुमार	महाप्रबंधक (वित्त)

प्राक्कथन

मैं, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की हैसियत से बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुये वर्ष का प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) की संबंधित कंडिका संख्या 4.1 पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन संख्या 209वाँ प्रस्तुत करता हूँ।

यह प्रतिवेदन दिनांक 8 नवम्बर, 2019 की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड एवं सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने अथक परिश्रम से समिति को जो सहयोग दिया है वह सराहनीय है। इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

समिति के माननीय सदस्यगणों ने अपना बहुमूल्य समय देकर प्रतिवेदन तैयार करने में जो सहयोग किया है, मैं उनका आभारी हूँ और इस कार्य हेतु मैं उन्हें अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ।

पटना :
दिनांक 8 नवम्बर, 2019 (ई0)।

हरिनारायण सिंह,
सभापति,
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति,
बिहार विधान सभा।

प्रतिवेदन

सी0ए0जी0 का 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) की पृष्ठ संख्या 87 एवं 88 पर द्रष्टव्य।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

4.1 भूमि के पंजीकरण नहीं होने के कारण रु0 2.91 करोड़ की हानि।

> ससमय अपने नाम से भूमि के पंजीकरण करवाने में कम्पनी की विफलता के फलस्वरूप रु0 2.91 करोड़ की हानि।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी) की निदेशक मंडल ने मालसलामी स्थित 1.48 एकड़ भूमि के क्रय हेतु परंतु इसपर चावल मिल स्थापित करने हेतु प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुये मार्च, 1983 में संकल्प पारित किया। यह भूमि पटना सिटी के कोष्ठागार (धान्य भंडार) के सन्निकट था। कम्पनी ने रु0 3.52 लाख के कुल प्रतिफल का भुगतान (जून, 1983) श्रीकृष्ण गोशाला, (एस0के0जी0) को किया एवं 1.41 एकड़ भूमि का आधिपत्य ग्रहण (जनवरी, 1984) किया। परन्तु कम्पनी ने 1998 तक भूमि विक्रय विलेख अपने नाम से पंजीकृत नहीं कराया। अक्टूबर, 1998 में एस0के0जी0 ने कम्पनी से भूमि वापस करने का आग्रह किया चूँकि यह घाटे में चल रहा था।

अक्टूबर, 1998 से मार्च, 2006 के मध्य जिला प्रशासन को भूमि अपने नाम से पंजीकृत करने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिये अनेकानेक नैत्य आग्रहों एवं स्मारकों के अलावा कम्पनी ने इस मुद्दा का सक्रियता से अनुकरण नहीं किया। इस दौरान मे0एस0के0जी0 ने रु0 3.70 लाख की प्रतिफल राशि कम्पनी को लौटा दिया (सितम्बर एवं अक्टूबर, 2004) जिसे कम्पनी ने स्वीकार नहीं किया। कम्पनी ने इस विषय पर वैध परामर्शदाता से कानूनी परामर्श लिया (अगस्त, 2005) जिन्होंने भूमि को अपने नाम से पंजीकृत करने हेतु व्यवहार न्यायालय में वाद दाखिल करने हेतु विचार प्रकट किया। तथापि कम्पनी वाद दाखिल नहीं कर सका चूँकि भूमि का विक्रय एक सादे कागज पर अभिलेखित था (जनवरी, 1984) जो कि न्यायालय में धारणीय नहीं था। कम्पनी के प्रबंध निदेशक ने निदेशक मंडल के समक्ष रु0 8.57 लाख के प्रतिफल (पिछले 27 वर्षों एवं चार महीने हेतु साधारण ब्याज सम्मिलित) के विरुद्ध मे0एस0के0जी0 को भूमि लौटाने का प्रस्ताव रखा (सितम्बर, 2010)। पिछले 27 वर्षों में कम्पनी ने भूमि को अपने नाम से पंजीकृत कराने एवं मे0एस0के0जी0 द्वारा भूमि अधिग्रहण रोकने हेतु कोई कारगर कदम नहीं उठाया। भूमि अपने नाम से पंजीकृत कराने हेतु न्यायालय में वाद दाखिल करने के लिये कम्पनी के पास उचित अभिलेख भी नहीं था।

कम्पनी ने भूमि के मौजूदा विक्रय मूल्य की जानकारी किये बिना इसको वास्तविक मूल्य एवं पाँच प्रतिशत साधारण ब्याज यथा रु0 0.09 करोड़ के योग पर भूमि मे0एस0के0जी0 को लौटा दिया जिसके फलस्वरूप कम्पनी को रु0 2.91[1] करोड़ की हानि हुई।

प्रबंधन ने अपने जवाब में कहा (मई, 2011) कि भूमि पंजीकरण करने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिये जिलाधिकारी, पटना को अनेकानेक आग्रह किये गये थे लेकिन चूँकि अनुमति नहीं प्रदान की गई थी, इसलिये भूमि का पंजीकरण नहीं कराया जा सका। कम्पनी का जवाब मान्य नहीं है चूँकि कम्पनी की गतिविधियाँ उसके सर्वोत्तम हित में नहीं थी तथा वर्षों तक भूमि का आधिपत्य, कानून की दृष्टि में भूमि के स्वामित्व हेतु उचित साक्ष्य था। भूमि के अधिकरण के त्याग से कम्पनी को रु0 2.91 करोड़ की हानि हुई।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून, 2011) उनका जवाब प्रतीक्षित था (दिसम्बर, 2011)।

---

[1] भूमि का बाजार मूल्य जैसे कि रु0 2,99,62,500 प्राप्त प्रतिफल जैसे कि रु0 8,57,000 = रु0 2,91,05,500.

संख्या 4613, दिनांक 22 सितम्बर, 2016

विभागीय उत्तर—(1) दीदारगंज, पटना सिटी स्थित साइलों के बगल में चावल मिल खोलने के लिये श्री कृष्ण गोशाला, पटना सिटी से 1.48 एकड़ भूखंड क्रय हेतु निदेशक पर्षद् के 65वीं बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसके संकल्प संख्या 65/1090, दिनांक 24 मार्च, 1983 पर निदेशक पर्षद् द्वारा केवल भूखंड क्रय के लिये अनुमोदित किया गया (अनुसूची 1)।

(2) उक्त भूखंड का श्री कृष्ण गोशाला द्वारा माँगी गई अग्रिम राशि @ 2,50,000 प्रति एकड़ की दर से कुल 3,70,000 रुपये निगम द्वारा उन्हें बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से दिनांक 9 जून, 1983 को उपलब्ध करा दिया गया (अनुसूची 2)।

(3) भूखंड मापी के पश्चात् 1.48 एकड़ की जगह 1.409 एकड़ ही भूखंड का भौतिक मापी पाया गया, जिसके कारण श्री कृष्ण गोशाला द्वारा प्राप्त किया गया अधिक राशि 17,750 रुपये निगम को वापस कर दिया गया (अनुसूची 3)।

(4) उक्त भूखंड के निबंधन की अनुमति हेतु निगम द्वारा विक्रयनामा की मूलप्रति संलग्न करते हुये समाहर्त्ता को पत्रांक 15069, दिनांक 24 नवम्बर, 1983 के माध्यम से अनुरोध किया गया (अनुसूची 4)।

(5) श्री कृष्ण गोशाला द्वारा दिनांक 23 जनवरी, 1984 को सादे कागज पर 1.41 एकड़ भूखंड निगम को हस्तानांतरित किया गया (अनुसूची 5)।

(6) उक्त भूखंड के निबंधन की अनुमति के लिये जिला पदाधिकारी, पटना से अनेको बार अनुरोध किया गया तथा अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी पदेन अध्यक्ष श्री कृष्ण गोशाला से निबंधन के संबंध में अनुरोध किया गया। परन्तु अनुमति नहीं मिलने के कारण उक्त भूखंड का निबंधन नहीं कराया जा सका।

(7) निबंधन कराने के संबंध में निगम के वरीय अधिवक्ता, श्री जी0 पी0 शुक्ला एवं श्री आर0 एस0 प्रधान तथा श्री अनिल कुमार उधोगी से मंतव्य प्राप्त किया गया (अनुसूची 6, 7 एवं 8)। उक्त सभी अधिवक्ताओं की राय Common रूप से यह रही कि जिला पदाधिकारी, पटना से अनुमति प्राप्त की जाये तथा भूखंड का रजिस्ट्री कराया जाये। यदि श्री कृष्णा गोशाला तैयार नहीं होता तो Court में Suit File किया जाये।

(8) श्री अनिल कुमार उधोगी, अधिवक्ता, पटना समाहरणालय द्वारा मंतव्य दिया गया जिसके निम्नलिखित बिन्दुओं पर महालेखाकार द्वारा जिक्र गया है :–

(i) जिला पदाधिकारी, पटना को निबंधन की अनुमति हेतु पत्र दिया जाये।

(ii) Civil Court में Valid Document के लिये File किया जाये।

(iii) गोशाला की भूमि को जनहित में चावल मिल खोलने के लिये Acquire करने हेतु जिला पदाधिकारी, पटना से S.F.C. द्वारा राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किया जाये तथा भूमि Acquire करने के पश्चात् राज्य खाद्य निगम को सौंप दिया जाये।

(iv) अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी पदेन अध्यक्ष, श्री कृष्ण गोशाला के साथ बैठकर बुलाकर निबंधन कराने के लिये अनुरोध किया जाये।

(9) श्री उधोगी द्वारा दिये गये मंतव्य के आलोक में उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया पत्र प्रारूप को जिला पदाधिकारी, पटना एवं अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी को भेजा गया (अनुसूची 9, 10, 11 एवं 12)।

(10) उक्त भू-खंड के निबंधन के संबंध में जिला पदाधिकारी, पटना से सम्पर्क किया गया जिसके क्रम में बताया गया कि इस संबंध में कार्रवाई हेतु उप-समहर्त्ता, प्रभारी भाहरी भूहदबंदी, पटना से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा बताया गया कि इस संबंध में कार्रवाई हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी को निदेश दे दिया गया है।

(11) अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी पदेन अध्यक्ष, श्री कृष्ण गोशाला से कई बार सम्पर्क किया गया जिसके क्रम में उनके द्वारा श्री कृष्ण गोशाला की बैठक बुलाकर बैठक की कार्रवाई की छाया प्रति संलग्न करते हुय निगम को पत्र दिया गया कि श्री कृष्ण गोशाला द्वारा संबंधित जमीन को राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध करना संभव नहीं है (अनुसूची 13 एवं 14)।

(12) पुनः श्री पी० के० शाही, वरीय विद्वान अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, पटना से भूमि के निबंधन के संबंध में कार्रवाई करने के लिये मंतव्य दिये जाने का अनुरोध किया गया (अनुसूची 15)। परन्तु उक्त विद्वान अधिवक्ता के समयाभाव के कारण इस बिन्दु पर श्री आर० एस०, प्रधान वरीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय से मंतव्य प्राप्त किया गया (अनुसूची 16)।

(13) श्री आर० एस०, प्रधान वरीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय से प्राप्त मंतव्य के आलोक में श्री अमरेन्द्र नारायण, अधिवक्ता द्वारा तैयार किया गया Legal Notice को सचिव, श्री कृष्ण गोशाला को निबंधित डाक से भेजा गया (अनुसूची 17)। जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि एक माह में जमीन का निबंधन नहीं कराने पर निगम सिविल कोर्ट में Suit File करने के लिये कानूनी कार्रवाई करेगा।

(14) Legal Notice भेजे जाने एवं निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात् Suit File करने के संबंध में श्री आर० एस०, प्रधान वरीय अधिवक्ता से राय ली गयी (अनुसूची 18)। जिसमें श्री प्रधान द्वारा बताया गया कि Suit File करने में Certain Amount, Court Fee के रूप में लगेगा। इसलिये यह ध्यान देना होगा कि इस केस में निगम की ओर से Latches नहीं हो।

(15) इस संबंध में श्री अनिल कुमार, उधोगी अधिवक्ता, पटना समाहरणालय द्वारा बतलाया गया कि जमीन का हस्तानान्तरण सादे कागज पर हुआ है, Stamp Paper पर नहीं है इसलिये कोर्ट द्वारा इसकी मान्यता किस हद तक दिया जायेगा, इसे कहा नहीं जा सकता।

(16) अधिवक्ताओं से प्राप्त मंतव्य के सभी बिन्दुओं को देखने से स्पष्ट है कि श्री कृष्ण गोशाला के जमीन का निबंधन कराने का निगम के पास Proper कागजात नहीं होने के कारण Court में Suit File नहीं किया जा सका।

(17) श्री कृष्ण गोशाला द्वारा अपने पत्र में यह भी जिक्र किया गया है कि गोशालाओं की जमीन दान में मिली हुई है इसकी बिक्री करना न्यायसंगत नहीं है (अनुसूची 19)।

(18) श्री कृष्ण गोशाला द्वारा भू-खंड के लिये उन्हें दी गई राशि 3,70,000 रुपये को बार-बार बैंक ड्राफ्ट के रूप में निगम को भेजा गया, परन्तु निगम द्वारा उन्हें वापस किया जाता रहा (अनुसूची 20)। निगम की ओर से इसे Lending रेट से ब्याज के साथ भुगतान किये जाने के संबंध में चर्चा की गई, परन्तु श्री कृष्ण गोशाला इसपर सहमत नहीं हुये।

(19) श्री कृष्ण गोशाला को निगम द्वारा भुगतान की गयी राशि 3,70,000 रुपये को श्री कृष्ण गोशाला द्वारा साधारण ब्याज की दर से 4,87,166 रुपये ब्याज सहित कुल 8,57,166 रुपये वापस किये जाने का प्रस्ताव दिया गया।

(20) निगम के हित को ध्यान में रखते हुये श्री कृष्ण गोशाला को उक्त प्रस्ताव को निदेशक पर्षद् की 133वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया जिसके मद संख्या 133.7 पर निदेशक पर्षद् द्वारा स्वीकृति दी गयी।

(21) श्री कृष्ण गोशाला का भूखंड का श्री कृष्ण गोशाला द्वारा निबंधन नहीं कराने के कारण उक्त भू–खंड पर कोई अधिकार नहीं हो सका। फलतः निगम हित को ध्यान में रखते हुये निदेशक पर्षद् को निदेशानुसार उक्त भू–खंड हेतु श्री कृष्ण गोशाला को दिये गये राशि को सूद सहित कुल 8,57,166 (आठ लाख संतावन हजार एक सौ छियासठ) रुपये निगम खाते में जमा करा दिया गया।

विभागीय मंतव्य

कंडिका संख्या 4.1 वर्ष 2010—11 पर निगम से प्राप्त उत्तर प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय समीक्षा का गई। निगम द्वारा समर्पित प्रतिवेदन स्वतः स्पष्ट एवं तर्कसंगत प्रतीत होता है जिससे विभाग सहमत है।

विभागीय उत्तर परिशिष्ट पृष्ठ संख्या 7 से 9 पर द्रष्टव्य।

समिति का निष्कर्ष/अनुशंसा

दिनांक 1 नवम्बर, 2018 की बैठक में समिति द्वारा इस कंडिका आपत्ति को निष्पादित किया गया।

दिनांक 1 नवम्बर, 2018 को समिति की बैठक की संबंधित कंडिका आपत्ति की अंश कार्यवाही परिशिष्ट पृष्ठ संख्या 15 पर द्रष्टव्य।

पटना :
दिनांक 8 नवम्बर, 2019 (ई0)।

हरिनारायण सिंह,
सभापति,
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति,
बिहार विधान सभा।

संo प्र0–5(2) बजट(नि0महा0परी0) प्रति–05 / 2015–4613 / खाद्य

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

प्रेषक

भरत कुमार दूबे, (भा0प्र0से0),

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में

भूदेव राय,

उप–सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 22 सितम्बर, 2018

विषय—बिहार विधान सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की मुख्य समिति की दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को आहूत बैठक से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2010–11 का की कंडिका संख्या 4.1 एवं 4.7 का अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में।

प्रसंग—आपका पत्रांक 4755, दिनांक 29 अगस्त, 2018।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विधान सभा के सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की मुख्य समिति की दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को आहूत बैठक से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) पर राज्य खाद्य निगम से प्राप्त पत्रांक 9849, दिनांक 22 सितम्बर, 2018 के आलोक में वर्ष 2010–11 की लम्बित कंडिका संख्या 4.1 एवं 4.7 पर सुस्पष्ट मंतव्य / प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :–

कंडिका / वर्ष	कंडिकावार अंकेक्षण आपत्ति	अंकेक्षण आपत्ति पर कंडिकावार निगम का मंतव्य / प्रतिवेदन	विभागीय मंतव्य
4.1 2010–11	भूमि के पंजीकरण नहीं होने के कारण 2.91 करोड़ रुपये की हानि।	(1) दीदारगंज, पटना सिटी स्थित साइलों के बगल में चावल मिल खोलने के लिये श्री कृष्ण गोशाला, पटना सिटी से 1.48 एकड़ भूखंड क्रय हेतु निदेशक पर्षद् के 65वीं बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसके संकल्प संख्या 65 / 1090, दिनांक 24 मार्च, 1983 पर निदेशक पर्षद् द्वारा केवल भूखंड क्रय के लिये अनुमोदित किया गया (अनुसूची 1)।	कंडिका संख्या 4.1 वर्ष 2010–11 पर निगम से प्राप्त उत्तर प्रतिवेदन के आधार पर विभागीय समीक्षा की गई। निगम द्वारा समर्पित प्रतिवेदन स्वतः स्पष्ट एवं तर्कसंगत प्रतीत होता है जिससे विभाग सहमत है।

कंडिका / वर्ष	कंडिकावार अंकेक्षण आपत्ति	अंकेक्षण आपत्ति पर कंडिकावार निगम का मंतव्य / प्रतिवेदन	विभागीय मंतव्य
		(2) उक्त भूखंड का श्री कृष्ण गोशाला द्वारा माँगी गई अग्रिम राशि @ 2,50,000 प्रति एकड़ की दर से कुल 3,70,000 रुपये निगम द्वारा उन्हें बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से दिनांक 9 जून, 1983 को उपलब्ध करा दिया गया (अनुसूची 2)। (3) भूखंड मापी के पश्चात् 1.48 एकड़ की जगह 1.409 एकड़ ही भूखंड का भौतिक मापी पाया गया, जिसके कारण श्री कृष्ण गोशाला द्वारा प्राप्त किया गया अधिक राशि 17,750 रुपये निगम को वापस कर दिया गया (अनुसूची 3)। (4) उक्त भूखंड के निबंधन की अनुमति हेतु निगम द्वारा विक्रयनामा की मूलप्रति संलग्न करते हुये समाहर्त्ता को पत्रांक 15069, दिनांक 24 नवम्बर, 1983 के माध्यम से अनुरोध किया गया (अनुसूची 4)। (5) श्री कृष्ण गोशाला द्वारा दिनांक 23 जनवरी, 1984 को सादे कागज पर 1.41 एकड़ भूखंड निगम को हस्तानान्तरित किया गया (अनुसूची 5)। (6) उक्त भूखंड के निबंधन की अनुमति के लिये जिला पदाधिकारी, पटना से अनेकों बार अनुरोध किया गया तथा अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी पदेन अध्यक्ष श्री कृष्ण गोशाला से निबंधन के संबंध में अनुरोध किया गया। परन्तु अनुमति नहीं मिलने के कारण उक्त भूखंड का निबंधन नहीं कराया जा सका। (7) निबंधन कराने के संबंध में निगम के वरीय अधिवक्ता श्री जी0 पी0 शुक्ला एवं श्री आर0 एस0 प्रधान तथा श्री अनिल कुमार उद्योगी से मंतव्य प्राप्त किया गया (अनुसूची 6, 7 एवं 8)। उक्त सभी अधिवक्ताओं की राय Common रुप से यह रही की जिला पदाधिकारी, पटना से अनुमति प्राप्त की जाये तथा भूखंड का रजिस्ट्री कराया जाये। यदि श्री कृष्ण गोशाला तैयार नहीं होता तो Court में Suit File किया जाये।	

कंडिका / वर्ष	कंडिकावार अंकेक्षण आपत्ति	अंकेक्षण आपत्ति पर कंडिकावार निगम का मंतव्य / प्रतिवेदन	विभागीय मंतव्य
		(8) श्री अनिल कुमार उद्योगी, अधिवक्ता, पटना समाहरणालय द्वारा मन्तव्य दिया गया जिसके निम्नलिखित बिन्दुओं पर महालेखाकार द्वारा जिक्र किया गया है :– (i) जिला पदाधिकारी, पटना को निबंधन की अनुमति हेतु पत्र दिया जाये। (ii) Civil Court में Valid Document के लिए File किया जाये। (iii) गोशाला की भूमि को जनहित में चावल मिल खोलने के लिये Acquire करने हेतु जिला पदाधिकार, पटना से S.F.C. द्वारा राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किया जाये तथा भूमि Acquire करने के पश्चात् राज्य खाद्य निगम को सौंप दिया जाये। (iv) अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी पदेन अध्यक्ष, श्री कृष्ण गोंशाला के साथ बैठक बुलाकर निबंधन कराने के लिये अनुरोध किया जाये। (9) श्री उद्योगी द्वारा दिये गये मंतव्य के आलोक में उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया पत्र प्ररुप को जिला पदाधिकारी, पटना एवं अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी को भेजा गया (अनुसूची 9, 10, 11 एवं 12)। (10) उक्त भूखंड के निबंधन के संबंध में जिला पदाधिकारी, पटना से सम्पर्क किया गया जिसके क्रम में बताया गया कि इस संबंध में कार्रवाई हेतु उप–समहर्त्ता प्रभारी भाहरी भूहदबन्दी, पटना को निदेश दिया गया है उप–समहर्त्ता प्रभारी भाहरी भूहदबन्दी, पटना से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा बताया गया कि इस संबंधमें कार्रवाई हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी को निदेश दे दिया गया है।	

कंडिका/वर्ष	कंडिकावार अंकेक्षण आपत्ति	अंकेक्षण आपत्ति पर कंडिकावार निगम का मंतव्य/प्रतिवेदन	विभागीय मंतव्य
		(11) अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी पदेन अध्यक्ष, श्री कृष्ण गोशाला से कई बार सम्पर्क किया गया जिसके क्रम में उनके द्वारा श्री कृष्ण गोशाला की बैठक बुलाकर बैठक की कार्रवाई की छाया प्रति संलग्न करते हुये निगम को पत्र दिया गया कि श्री कृष्ण गोशाला द्वारा संबंधित जमीन को राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराना संभव नहीं है (अनुसूची 13 एवं 14)। (12) पुनः श्री पी0 के0 शाही, वरीय विद्वान अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, पटना से भूमि के निबंधन के संबंध में कार्रवाई करने के लिये मंतव्य दिये जाने का अनुरोध किया गया (अनुसूची 15)। परन्तु उक्त विद्वान अधिवक्ता के समयाभाव के कारण इस बिन्दु पर श्री आर0 एस0, प्रधान वरीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय से मंतव्य प्राप्त किया गया (अनुसूची 16)। (13) श्री आर0 एस0, प्रधान वरीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय से प्राप्त मंतव्य के आलोक में श्री अमरेन्द्र नारायण, अधिवक्ता द्वारा तैयार किया गया Legal Notice को सचिव, श्री कृष्ण गोशाला को निबंधित डाक से भेजा गया (अनुसूची 17)। जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि एक माह में जमीन का निबंधन नहीं कराने पर निगम सिविल कोर्ट में Suit File करने के लिये कानूनी कार्रवाई करेगा। (14) Legal Notice भेजे जाने एवं निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात् Suit File करने के संबंध में श्री आर0 एस0, प्रधान वरीय अधिवक्ता से राय ली गयी (अनुसूची 18)। जिसमें श्री प्रधान द्वारा बताया गया कि Suit File करने में Certain Amount, Court fee के रूप में लगेगा। इसलिये यह ध्यान देना होगा कि इस केस में निगम की ओर से Latches नहीं हो। (15) इस संबंध में श्री अनिल कुमार, उद्योगी अधिवक्ता, पटना समाहरणालय द्वारा बतलाया गया कि जमीन का हस्तानान्तरण सादे कागज पर हुआ है, Stamp Paper पर नहीं है इसलिये कोर्ट द्वारा इसकी मान्यता किस हद तक दिया जायेगा, इसे कहा नहीं जा सकता।	

कंडिका / वर्ष	कंडिकावार अंकेक्षण आपत्ति	अंकेक्षण आपत्ति पर कंडिकावार निगम का मंतव्य / प्रतिवेदन	विभागीय मंतव्य
		(16) अधिवक्ताओं से प्राप्त मंतव्य के सभी बिन्दुओं को देखने से स्पष्ट है कि श्री कृष्ण गोशाला के जमीन का निबंधन कराने का निगम के पास Proper कागजात नहीं होने के कारण Court में Suit File नहीं किया जा सका। (17) श्री कृष्ण गोशाला द्वारा अपने पत्र में यह भी जिक्र किया गया है कि गोशालाओं की जमीन दान में मिली हुई है इसकी बिक्री कराना न्यायसंगत नहीं है (अनुसूची 19)। (18) श्री कृष्ण गोशाला द्वारा भूखंड के लिये उन्हें दी गई राशि 3,70,000 रुपये को बार–बार बैंक ड्राफ्ट के रूप में निगम को भेजा गया, परन्तु निगम द्वारा उन्हें वापस किया जाता रहा (अनुसूची 20)। निगम की ओर से इसे Lending रेट से ब्याज के साथ भुगतान किये जाने के संबंध में चर्चा की गई परन्तु श्री कृष्ण गोशाला इसपर सहमत नहीं हुये। (19) श्री कृष्ण गोशाला को निगम द्वारा भुगतान की गयी राशि 3,70,000 रुपये को श्री कृष्ण गोशाला द्वारा साधारण ब्याज की दर से 4,87,166 रुपये ब्याज सहित कुल 8,57,166 रुपये वापस किये जाने का प्रस्ताव दिया गया। (20) निगम के हित को ध्यान में रखते हुये श्री कृष्ण गोशाला के उक्त प्रस्ताव को निदेशक पर्षद् की 133वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया जिसके मद संख्या 133.7 पर निदेशक पर्षद् द्वारा स्वीकृति दी गयी (अनुसूची 21)। (21) श्री कृष्ण गोशाला का भू–खंड का श्री कृष्ण गोशाला द्वारा निबंधन नहीं कराने के कारण उक्त भू–खंड पर कोई अधिकार नहीं हो सका। फलतः निगम हित को ध्यान में रखते हुये निदेशक पर्षद् के निदेशानुसार उक्त भू–खंड हेतु श्री कृष्ण गोशाला को दिये गये राशि को सूद सहित कुल 8,57,166 (आठ लाख संतावन हजार एक सौ छियासठ) रुपये निगम खाते में जमा करा दिया गया।	

संबंधित कंडिका आपत्ति की अंश कार्यवाही

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की दिनांक 1 नवम्बर, 2018 को 3.00 बजे अपराह्न में सभा सचिवालय स्थित समिति कक्ष में हुई बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति

श्री हरि नारायण सिंह	सभापति
श्री श्रीनारायण यादव	सदस्य
श्री ललन पासवान	सदस्य
श्री नीरज कुमार	सदस्य
श्री आलोक कुमार मेहता	सदस्य
श्री रामचन्द्र सहनी	सदस्य

महालेखाकार कार्यालय

श्री आदेश अग्रवाल	उप–महालेखाकार
श्री सुजय कुमार सिन्हा	व० ले० प० अ० (वा० प्र०)
श्री कुमार विकास	स० ले० प० अ० (कोपू)

विभागीय पदाधिकारीगण

श्री पंकज कुमार	सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
श्री विनोदानन्द झा	मुख्य महाप्रबंधक, बी० एफ० एस० सी०
श्री भरत कुमार दूबे	संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
श्री सुशील कुमार	महाप्रबंधक (वित्त), एस० एफ० सी०

सभापति—बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है।

आज की निर्धारित बैठक में कंडिका पर विचार–विमर्श हेतु जिला पदाधिकारी, खगड़िया एवं बेगूसराय तथा जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया एवं बेगूसराय को बुलाया गया था लेकिन आज की बैठक में इनमें से कोई भी पदाधिकारी समिति के समक्ष न तो उपस्थित हुये हैं और न ही उन्होंने कोई सूचना या प्रतिवेदन ही समिति को उपलब्ध कराया है।

उनकी अनुपस्थिति में संबंधित कंडिका पर समिति आगे विचार नहीं कर सकी। समिति इसे अवमानना मानती है एवं निर्णय लेती है कि इस संबंध में अनुपस्थित पदाधिकारियों पर समुचित कार्रवाई हेतु मुख्य सचिव, बिहार सरकार को लिखा जाये।

सचिव—उसमें एफ० आई० आर० हुये हैं। पाँच कोर्ट हैं जिसमें केस ट्रॉन्सफर हुये हैं।

श्री ललन पासवान—ट्रायल कब से शुरू होगा ?

सचिव—अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। एक्जेक्ट स्थिति बताने की स्थिति में अभी हम नहीं हैं। चूँकि यह आज का विषय नहीं था।

सभापति—ए० जी० बतायें कि इसमें क्या किया जाये।

उ० म० ले०—एफ० आई० आर० कर चुके हैं। अब इसमें जो कुछ होगा, कोर्ट से ही होगा।

सभापति—विभागीय उत्तर के आलोक में इस कंडिका को सर्वसंम्मति से ड्रॉप किया जाता है।

2010–11 की कंडिका संख्या 4.1

सभापति—भूमि के पंजीकरण नहीं होने के कारण 2.91 करोड़ रुपये की हानि। क्या अद्यतन स्थिति है ?

सचिव—हमलोग एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट इसमें पत्रांक 4613, दिनांक 22 सितम्बर, 2018 द्वारा सभा सचिवालय को भेज चुके हैं।

दीदारगंज, पटना सिटी स्थित श्री कृष्ण गोशाला की 1.48 एकड़ भूमि थी, जिसके अध्यक्ष पदेन एस० डी० ओ० थे। उस भूखंड को क्रय करने हेतु निदेशक पर्षद् की बैठक में 24 मार्च, 1983 को निर्णय लिया गया और निगम द्वारा 3,70,000 रुपये बैंक ड्राफ्ट के द्वारा अग्रिम राशि श्री कृष्ण गोशाला को दे दिया गया और एक सादे कागज पर निगम को जमीन हस्तांतरित कर दिया गया।

इसमें एस० डी० ओ०, पटना सिटी द्वारा कहा गया कि यह जमीन राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इस बिन्दु पर लीगल ओपिनियन भी लिये गये। लीगल ओपिनियन में कहा गया कि कोर्ट में सूट दायर किया जाये। लेकिन यह नहीं हो पाया।

हमलोगों ने भी अपने स्तर से जो कार्रवाई होनी थी, वह हमलोगों ने की है। अंत में यह निर्णय हुआ कि चूँकि श्री कृष्ण गोशाला का भूखंड का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, इसलिये उक्त भूखंड हेतु दिये गये राशि को सिम्पल इन्टरेस्ट सहित 8 लाख रुपया निगम के खाते में जमाकर दी गयी है। अग्रिम दी गयी राशि सूद सहित वापस ले ली गयी है, इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस कंडिका को ड्रॉप कर दिया जाये।

उ० म० ले०—1984 में श्री कृष्ण गोशाला को राशि देकर जमीन उक्त जमीन ले ली गयी थी, पैसे का भुगतान भी कर दिया गया था, उसपर आधिपत्य भी ले लिया गया था, एक सादे कागज पर लिखवा भी लिया गया था। 1998 तक उक्त जमीन की रजिस्ट्री हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी, 1998 के बाद कार्रवाई शुरू हुई और 2010 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निर्णय ले लिया और सिम्पल इन्टरेस्ट सहित मूल राशि लेकर जमीन वापस कर दी गयी। इसका सर्किल रेट 2.91 करोड़ रुपया है और भुगतान की गयी अग्रिम राशि मात्र सिम्पल इन्टरेस्ट सहित 8 लाख रुपया लेकर वह भूमि वापस कर दी गयी।

सचिव—जहाँतक मेरी समझ है श्री कृष्ण गोशाला की जमीन को निगम को ट्रॉन्सफर नहीं किया जा सकता है। अब चूँकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नीतिगत निर्णय ले लिया और इसके बाद अब इसमें विभाग के स्तर पर कार्रवाई का कोई मामला नहीं रह जाता है। इसलिये इस कंडिका को ड्रॉप कर दिया जाये।

श्री ललन पासवान—ए0 जी0 ने इस बिन्दु पर आपत्ति की है कि 3,70,000 रुपया देकर सादे कागज पर लिखवा लिया जिसके कारण रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका तो वह राशि सिम्पल इन्टरेस्ट सहित 8 लाख रुपया वापस लेकर जमीन को वापस कर दिया गया जिससे 2.91 करोड़ की हानि हुई।

उ0 म0 ले0—चूँकि सादे कागज पर लिखवा लिया, इसीलिये रजिस्ट्री नहीं हो सकी। अगर उस समय एग्रीमेंट करा लिया गया होता तो रजिस्ट्री हो सकती थी।

सचिव—श्रीकृष्ण गोशाला एक रजिस्टर्ड संस्था है। एस0 डी0 ओ0 उसके पदेन अध्यक्ष है।

सभापति—श्रीकृष्ण गोशाला, रजिस्टर्ड संस्था की उक्त जमीन थी लेकिन पूरी छान-बीन नहीं की गयी कि इस जमीन का रजिस्ट्री हो सकती थी या नहीं, इस बिन्दू पर छान-बीन किये बिना ही निगम ने अग्रिम राशि का भुगतान कर एक सादे कागज पर लिखवा लिया और कई वर्षों के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के निर्णय के आलोक में सिम्पल इन्टरेस्ट सहित अग्रिम राशि लेकर यह भूमि उसे वापस कर दी गयी। यह तो बहुत गंभीर बात है। इससे 2.91 करोड़ रुपये की हानि हुई।

सचिव—सर्किल रेट किस आधार पर लगता है ?

उ0 म0 ले0—2010 में राशि वापस की गयी तो 2010 का सर्किल रेट लगेगा।

सचिव—इसमें 1984 का सर्किल रेट लगना चाहिये। मेरा इसमें अनुरोध है कि इस कंडिका को ड्रॉप कर दिया जाये क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नीतिगत निर्णय ले लिया है और अग्रिम राशि सिम्पल इन्टरेस्ट के साथ वापस निगम के खाते में जमाकर दिया गया है।

सभापति—इसपर ए0 जी0 की क्या राय हैं, क्या आप इस कंडिका को ड्रॉप करने के पक्ष में हैं ?

उ0 म0 ले0—जी, नहीं।

सभापति—समिति यह महसूस करती है कि इसमें लीगल ओपिनियन लेना चाहिए।

सचिव—इसपर लीगल ओपिनियन लिया जा चुका है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नीतिगत निर्णय भी ले लिया है। इसमें सरकार को कोई लौस नहीं हुआ है।

उ0 म0 ले0—लीगल ओपिनियन जो ली गयी, उसमें कॉमन रूप से यह राय आई कि जिला पदाधिकारी, पटना से अनुमति प्राप्त की जाये तथा भूखंड की रजिस्ट्री करायी जाये। यदि श्रीकृष्ण गोशाला तैयार नहीं होता है तो कोर्ट में Suit File किया जाये।

सचिव—लेकिन इसपर कोर्ट में सूट नहीं चलेगा।

सभापति—विभाग का कहना है कि इसमें लीगल ओपिनियन लिया गया है जिसमें कहा गया कि चूँकि सादे कागज पर जमीन ट्रॉन्सफर किया गया था इसलिये सूट फाईल नहीं किया जा सकता है, दूसरी बात कि यह पब्लिक प्रोपर्टी है।

सचिव—बाद में गोशाला समिति ने कहा कि हमलोग जमीन का रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, हमें अपनी आवश्यकता है। एक बात यह भी है कि 1983-84 में जमीन की कीमत कम थी आज की स्थिति में काफी कीमती जमीन हो गई है।

व0 ले0 प0 अ0—निगम के अधिपत्य में जमीन थी, पैसा देकर एग्रीमेंट और रजिस्ट्री कराना तो निगम की जवाबदेही थी।

सचिव—1984 में जो कंसीडरेसन एमाउन्ट दिया गया, उसका हिसाब 2009–10 के सर्किल रेट से करेंगे तो वह सही नहीं होगा। गोशाला भी पब्लिक प्रोपर्टी होता है जिसके कमिटी के एस0 डी0 ओ0 पदेन अध्यक्ष होते हैं। लीगल ओपिनियन में है कि अब भूमि का हस्तान्तरण संभव नहीं है। आज के डेट में गोशाला समिति नहीं चाहती है कि इतनी बड़ी सम्पत्ति दे दें, उस समय हो गया रहता तो हो जाता। हाँ, अगर यह जमीन किसी दूसरे हाथ में चला गया रहता तो अलग बात होती। हालाँकि यह बात भी सही है कि निगम को जमीन मिल गई रहती तो हमलोग निगम के गतिविधि को बढ़ा सकते थे। जो पैसा निगम के द्वारा गोशाला को दिया गया था उसको ब्याज सहित वापस करा लिया गया है।

व0 ले0 प0 अ0—हर लीगल ओपिनियन में यह लिखा गया है कि सिविल सूट इसलिये दायर नहीं किया जा सकता है क्योंकि सादे कागज पर जमीन ट्रॉन्सफर हुआ था।

सचिव—यह बात भी है कि अगर सिविल सूट दायर किया जाता तो हमलोग जीत नहीं पाते क्योंकि दोनों पब्लिक बॉडी के जमीन के लिये केस होगा।

श्री ललन पासवान—अगर सादे कागज पर ट्रॉन्सफर नहीं किया गया होता, बाजप्ता प्रक्रिया अपनाई जाती तो यह स्थिति नहीं आती। उस समय के पदाधिकारी ने सही तरीके से रेसपौंड नहीं किया तो इसके लिये किसकी जवाबदेही बनती है ?

सभापति—अब इसका क्या समाधान हो सकता है ? यह बात तो स्पष्ट है कि निगम की ओर से जमीन के लिये जो राशि का भुगतान किया गया था उस राशि को ब्याज सहित वापस भी करा लिया गया है और विभाग ने जैसा बताया कि गोशाला की जमीन भी पब्लिक प्रोपर्टी है और गोशाला कमिटी उस जमीन को निगम को नहीं देना चाहता है। इस स्थिति में समिति समीक्षोपरान्त विभाग द्वारा दिये गये जवाब के आलोक में इस कंडिका को ड्रॉप किया जाता है।

हरिनारायण सिंह,
सभापति।

बि0स0मु0 117(एल0ए0), 2019–2020–डी0टी0पी0–400